

नागरिक शिकायत सचना पत्र

Highlands Police Department के सदस्य न्यायोचित, प्रभावी और निष्पक्ष ढंग से काफ़ि ली लागू कराने की रूपी सवादि के लए प्रनतवद्ध है। यह सभी के सर्वोत्तम हित में है कक ककसी ववशेष अचधकारी के पदशशि के बर में आपकी लशकायत को न्यायोचित ढंग से और शीघ्रता से हल ककया जाए। आपकी लशकायत की जांाँ के लए पबलस ववभाग के पास औपाररक प्रकियाए है। इि प्रकियाओं का डिजाइि िागररकों और काफ़ि लागू कराने वल अचधकारर्यों, दोिों के अचधकारों की रूपा करि और निष्पकता सनिश्चित करि के लए ककया गया है:

1. गमिाम स्रोतों सहहत ककसी भी व्यहत से अचधकारी / कमिारी के बर में कदािार की ररपोर या लशकायत ककसी भी समय स्वीकार की जांिी िाहए।
2. लशकायतकता की आय, िसल, िसल, धम, लग, यौि अलभववन्यास, ववकलांगता या आत्रजि श्िनत की परवाह कए बिा लशकायत स्वीकार ककया जाएगा।
3. आपकी लशकायत को ककसी उचिाचधकारी या आंतररक मामलों के लए ववशेष रूप से प्रलक्षत अचधकारी के पास भजा जाएगा जो मामल की ववस्तत और उद्वयपर जांाँ करग।
4. आपको घरिा के बर में ववस्तत ववरर दे कर जांाँ में मदद करि के लए कहा जा सकता है कक तया हुआ िा या / और अन्य महत्वपर जािकारी या दस्तावेज उपलब्ध कराने के लए कहा जा सकता है।
5. काफ़ि लागू कराने वल अचधकारर्यों के ववरुद्ध सभी लशकायतों की ववस्तत जांि की जाती है। यह अिरोध ककया जाता है, तो आपको जांाँ की श्िनत और उसक अनतम पररराम से अवगत करायया जाएगा, और आप संपक जािकारी प्रदाि करत है। अचधरोवपत सर्ीक सजा गोपिीय है, लककि जांाँ के अनतम पररराम के बर में आपको सचित ककया जाएगा, अिात:
 - a. लशकायत की वधता माि ली गई: सबतों को दखि से पता िलता है कक अचधकारी िे ककसी काफ़ि; ववनियमि; महान्यायवादी (अर्ांिी जिरल) या काउर्री अलभयोजक द्वारा जारी कए गए आदश, हदशानिदश, िीनत या प्रकिया; एजसी प्रेरर्ोकॉल; पररिालि प्रकिया; लसद्धांत; या प्रलक्षपर का उल्लंघि ककया है।
 - b. लशकायत निराधार पाया गया: सबतों को दखि से पता िलता है कक कचित कदािार िही हुआ िा।
 - c. दोषमतत कर हदया गया: सबतों को दखि से पता िलता है कक कचित आरिर् हुआ िा, लककि ककसी भी काफ़ि; ववनियमि; महान्यायवादी (अर्ांिी जिरल) या काउर्री अलभयोजक द्वारा जारी कए गए आदश, हदशानिदश, िीनत या प्रकिया; एजसी प्रेरर्ोकॉल; पररिालि प्रकिया; लसद्धांत; या प्रलक्षपर का उल्लंघि िही ककया गया िा।
 - d. लशकायत अवध है: आरोप को स्पूप रूप से साबत करि या खाररज करि में जांाँ पयाशत सबतों का खलासा करि में ववफल रहा।
6. यह हमारी जांाँ यह दशाशती है कक अपराध ककया गया हो सकता है, तो काउर्री अलभयोजक को सचित ककया जाएगा। आपको अदालत में गवाही दि के लए कहा जा सकता है।
7. यह हमारी जांाँ के परररामस्वरूप ककसी अचधकारी पर ववभाग के नियमों के उल्लंघि का आरोप लगाया जाता है, तो ववभागीय सिवाई में आपको गवाही दि के लए कहा जा सकता है।
8. यह हमारी जांाँ दशाशती है कक लशकायत निराधार है या अचधकारी िे ठीक से काम ककया है तो मामला बंद कर हदया जाएगा।
9. आंतररक मामलों की जांाँ गोपिीय है और सभी अिशसिात्मक सिवाई जिता के लए बंद रहगी, जब तक कक प्रनतवादी अचधकारी खली सिवाई का अिरोध िही करता है।

10. आप मामले के बारे में किसी भी अनंतरतत जांचिकारी या किसी भी प्रचिके के साथ Internal Affairs Supervisor को 732 872 1158 पर कॉल कर सकत ह।